

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल

क्रमांक / एफ 44-27 / 2008 / 20-2

भोपाल, दिनांक 25 / 03 / 2008

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में शिक्षण सत्र का प्रारंभ 01 जुलाई 2008 के स्थान पर 01 अप्रैल 2008 से किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर /

(पुष्पलता सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / विद्या / ई / 48 / 2008 / 270

भोपाल, दिनांक 25 / 03 / 2008

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश भोपाल।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्री / राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा भोपाल।
3. माननीय मुख्य सचिव के उप सचिव, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. सचिव, मध्यप्रदेश शासन जनसंपर्क / आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
6. आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
7. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
8. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल।
10. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
12. सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल।
14. महानिदेशक राष्ट्रीय केडेट कोर, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जिला अंतर्गत उक्त शासनादेश का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।

(३८)
(डॉ. महेश जैन)
सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश